तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निगरानी/एल0आर0/1734/2003/नागौर **रामपुरी बनाम सरकार**	

एकल पीठ
डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य

उपस्थितः—
श्री अशोक नाथ योगी, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
श्री शिशिर कुमार विजयर्गीय, अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से।

आदेश

दिनांकः—17.11.2025

1— यह निगरानी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07—01—2003 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 84 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2— विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3— अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि परीक्षण न्यायालय ने पटवारी हल्का के प्रतिवेदन पर प्रार्थी को दिनांक 09—09—97 की पेशी के लिए नोटिस दिया एवं बिना प्रार्थी को अपना पक्ष एवं शहादत प्रस्तुत करने एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना उसी दिन प्रार्थी को बेदखल करने का आदेश दे दिया। जो प्राकृतिक न्याय के प्राथमिक सिद्धांतों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पटवारी हल्का के बयान भी नहीं लिये गये न ही प्रार्थी के बयान लिये गये। इन सभी कार्यवाहियों के अभाव में अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालयो द्वारा मौके की जांच करवाकर मौका रिपोर्ट भी अगर प्रकरण में मंगवायी जाती तो सारी स्थिति अपने आप स्पष्ट हो जाती, क्योंकि मौके की जमीन गै0मु0 मगरा रिकार्ड में अवश्य दर्ज है किन्तु मौके पर प्रार्थी ने वर्षा से काश्त करके काबिल काश्त भूमि बनायी है। जिसमें प्रार्थी की ढाणी भी बनायी हुई है जो रहवासीय प्रार्थी ने कोई नया कब्जा इस जमीन पर नहीं किया है। इसलिए उपरोक्त भूमि प्रार्थी के पक्ष में काबिल नियमन किये जाने योग्य है। राज्य सरकार के भी गैर मुमकिन मगरा भूमि के सम्बंध में बार—बार सरक्यूलर्स निकले है जिसके अनुसार उक्त भूमि का नियमन किया जा सकता है। प्रार्थी का कब्जा पुराना है इसलिए उक्त भूमि प्रार्थी के पक्ष में नियमन की जावे। विकल्प में उक्त प्रकरण को तहसीलदार को रिमाण्ड इस सम्बंध में जांच हेतु किया जावे ताकि प्रार्थी साक्ष्य सबूत पेश कर सके। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया परंतु अप्रार्थी द्वारा उसका ना तो जवाब दिया गया एवं ना ही काउण्टर शपथ पत्र दिया गया तो कानूनन ऐसी सूरत में अपील न्यायालय को अखण्डनीय शपथ पत्र के आधार पर उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए विलम्ब को न्यायहित में क्षमा करना चाहिए था। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के आदेश दिनांक 07—01—2003, न्यायालय अपर कलक्टर नागौर के आदेश दिनांक 26—09—98 एवं तहसीलदार नागौर के आदेश दिनांक 09—09—97 को निरस्त फरमाया जाकर विवादग्रस्त भूमि प्रार्थी को नियमन किये जाने की कृपा करें।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/1734/2003/नागौर** **रामपुरी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

4— इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी ने दौराने बहस अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 299 रकबा 14 बीघा किस्म गै0मु0 मगरा ग्राम खेतोलाव में स्थित है उक्त भूमि पर निगराकार द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने से निगराकार के विरूद्ध धारा 91 एल0आर0एक्ट के तहत कार्यवाही की गयी। कार्यवाही पश्चात् उक्त भूमि से निगराकार को बेदखल किये जाने की कार्यवाही भी की गयी तथा जुर्माना राशि वसूल किये जाने के आदेश भी पारित किये गये। प्रश्नगत आराजी गै0मु0 मगरा है जिसपर किसी व्यक्ति विशेष को अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किये जाने का विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की गयी है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमायी जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07—01—2003 यथावत रखा जावे।

5— हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्षकारान द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया। तहसीलदार नागौर ने निगराकार द्वारा प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 299 रकबा 14 बीघा किस्म गै0मु0 मगरा पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लेने पर उनके विरूद्ध धारा 91 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रश्नगत आराजी से बेदखल कर लगान का 50 गुना जुर्माना नियत कर जुर्माना राशि जमा कराये जाने के आदेश दिनांक 09—09—97 पारित किये। तहसीलदार नागौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 09—09—97 से व्यथित होकर निगराकार ने अपर जिला कलक्टर नागौर के समक्ष प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश की। न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 26—09—1998 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज कर दी। न्यायालय अपर जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26—09—1998 से व्यथित होकर निगराकार ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश की। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर ने अपने निर्णय दिनांक 07—01—2003 के द्वारा अपील अपीलाण्ट खारिज कर दी। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07—01—2003 से व्यथित होकर निगराकार ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। तहसीलदार, नागौर की पत्रावली के साथ नकल जमाबंदी सम्वत् 2048 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम खेतोलाव में स्थित आराजी खसरा संख्या 299 रकबा 14 बीघा किस्म गै0मु0 मगरा दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से साबित है कि प्रश्नगत आराजी गै0मु0 मगरा है जिस पर निगराकार द्वारा अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है। उक्त भूमि गै0मु0 मगरा होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के तहत किसी व्यक्ति विशेष को आवंटन/नियमन/खातेदारी नहीं दी जा सकती। हमने अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसम्मत रूप से निर्णय पारित किये गये हैं जिनमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित किया जाना प्रतीत नहीं होता है। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

6— उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/एल0आर0/1734/2003/नागौर** **रामपुरी बनाम सरकार**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित निर्णय दिनांक 07–01–2003 बहाल रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे। पत्रावली के साथ संलग्न अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड लौटाया जावे। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)** **सदस्य**	